

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 03/2025

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोंडेन्टस
1. भोमाराम पुत्र श्री बाबुराम जाति मेघवाल, उम्र 50 वर्ष निवासी- ग्राम जालेली फौजदार, जिला जोधपुर हाल ग्राम डिगाड़ी जिला जोधपुर		1. श्रीमती भंवरी देवी पत्नि स्व.श्री लच्छीराम उम्र 67 वर्ष 2. भंवरलाल पुत्र स्व.श्री लच्छीराम उम्र 54 वर्ष 3. श्रीमती गंगादेवी पत्नि गिरधारी पुत्री स्व.श्री लच्छीराम उम्र 52 वर्ष 4. श्रीमती गंगा पत्नि श्री कानाराम, उम्र 43 वर्ष 5. राकेश सांसी पुत्री श्री कानाराम, उम्र 32 वर्ष 6. बुधाराम पुत्री श्री कानाराम, उम्र 32 वर्ष 7. सुमन पुत्री कानाराम पत्नि श्री सनी, उम्र 33 वर्ष 8. जेठाराम देवड़ा पुत्र श्री लच्छीराम, उम्र 51 वर्ष जातियान-सांसी, निवासीगण सांसी कॉलोनी बग्गी खाना रातानाडा, जोधपुर 9. राज्य सरकार तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध  
नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 16.10.2018 जिसे तहसीलदार जोधपुर द्वारा  
ग्राम अलकदड़ा तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 8 रकबा 43 बीघा 06 बिस्वा  
भूमि के लिये मृतक लच्छीराम के वारिसान के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

- उपस्थिति:- 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बूब उपस्थित।  
2. रेस्पोंडेन्टस की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्‍नोई उपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 16.05.2025

अपीलान्ट भोमाराम पुत्र श्री बाबुराम जाति मेघवाल उम्र 50 वर्ष निवासी जालेली  
फौजदार जिला जोधपुर हाल ग्राम डिगाड़ी तहसील जोधपुर ओर से यह अपील अन्तर्गत  
धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोंडेन्ट श्रीमती भंवरीदेवी पत्नि स्व.श्री  
लच्छीराम उम्र 67 वर्ष जाति सांसी निवासी सांसी कॉलोनी बग्गीखाना रातानाडा जोधपुर व  
अन्य के विरुद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा ग्राम अलकदड़ा के खसरा संख्या 8 रकबा 43  
बीघा 06 बिस्वा भूमि के लिए मृतक लच्छीराम के वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या  
138 दिनांक 16.10.2018 को स्वीकृत किया गया को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी  
है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि स्व. श्री लच्छीराम  
पुत्र श्री सिमरथराम, जाति सांसी के सह-खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नं. 8 रकबा  
43 बिघा 6 बिस्वा वाके ग्राम अलकदड़ा, तहसील जोधपुर में आई हुई थी जिसमें से 3  
बिघा 10 बिस्वा भूमि के लिये अन्य सह-खातेदारान् सादुल राम, श्रीमती सुगना एवं सुरज  
के साथ संयुक्त रूप से अपने हिस्से की भूमि का बेचान करते हुए एक विक्रय पत्र  
अपीलांट के पक्ष में दिनांक 12.09.2011 को निष्पादित करते हुए उप-पंजीयक, द्वितीय,  
जोधपुर में पंजीबद्ध करवा दिया था। इस प्रकार अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 8 की जो 3  
बिघा 10 बिस्वा भूमि खरीद की गई थी इसमें मृतक स्व. श्री लच्छीराम ने भी अपने हिस्से  
की भूमि विक्रय करते हुए अपीलांट के पक्ष में पर्याप्त प्रतिफल लेकर अन्य सह-खातेदारों

के साथ बेचाननामा निष्पादित किया था। लच्छीरामजी का दिनांक 16.10.2016 को देहांत होने पर उनके वारिसान् द्वारा अपनी शेष बची भूमि के लिये लच्छीराम के स्थान पर अपना नाम उतराधिकार में दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं परंतु उनके द्वारा अपीलांट के पक्ष में स्व. श्री लच्छीराम द्वारा जो अपने तीसरे हिस्से की भूमि के लिये अपीलांट के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया था अर्थात् 3 बिघा 10 बिस्वा भूमि में जो लच्छीराम का हिस्सा विक्रय हो गया था उस हिस्से को कम करते हुए म्यूटेशन स्वीकृत किया जाना चाहिए था एवं अपीलांट द्वारा जो भूमि मृतक लच्छीराम से खरीद की गई थी उस भूमि को अपीलांट के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी परंतु तहसीलदार जोधपुर द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिससे अपीलांट का खरीदसुदा भूमि में नाम इंद्राज नहीं हो सका। इस संबंध में अपीलांट को जानकारी होने पर उसने रेस्पोंडेंट को इस विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2011 की जानकारी देने पर रेस्पोंडेंट ने जाहिर किया कि सद्भाविक तौर पर उनके द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2011 की प्रविष्टि नहीं करवाई गई हैं और संपूर्ण भूमि गलत रूप से उनके नाम इंद्राज हो गई हैं, किन्तु अब अपीलान्ट के हिस्से तक की भूमि को पुनः अपीलांट के नाम दर्ज करवाया जाना न्यायोचित होगा। अपीलांट ने स्व.श्री लच्छीरामजी से प्रतिफल देकर भूमि खरीद की थी एवं उनके पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किया हुआ हैं ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण में लच्छीराम का संपूर्ण हिस्सा जो उतराधिकारीयों के नाम दर्ज कर दिया गया हैं वह पूर्ण रूप से गलत हैं अपीलांट को विक्रय किया गया हिस्सा अपीलांट के नाम दर्ज किया जाना हर तरह से कानून एवं न्याय संगत हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण को स्व. श्री लच्छीराम द्वारा निष्पादित किये गए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2011 तक के लिये संशोधित किया जाना एवं अपीलांट को विक्रय की गई 3 बिघा 10 बिस्वा भूमि में से स्व. श्री लच्छीराम के हिस्से की भूमि को कम की जाना कानून एवं न्याय संगत होगा। अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी होने पर अविलंब यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 16.10.2018 को निरस्त करते हुए इस प्रकार संशोधित किया जावे कि स्व. श्री लच्छीराम द्वारा खसरा नंबर 8 की भूमि में अन्य सह-खातेदारों के साथ 3 बिघा एवं 10 बिस्वा भूमि का बेचाननामा दिनांक 12.09.2011 निष्पादित किया हैं उसमें से जितना लच्छीराम का हिस्सा विक्रय किया गया था उसे अपीलांट के पक्ष में राजस्व रेकॉर्ड दर्ज किया जाकर शेष भूमि को रेस्पोंडेंटस के नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बूब ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार जोधपुर द्वारा ग्राम अलकदड़ा के खसरा संख्या 8 रकबा 43 बीघा 06 बिस्वा भूमि के लिए मृतक लच्छीराम के वारिसान् के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 16.10.2018 को स्वीकृत किया गया को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

रेस्पोंडेंटस की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया कि लच्छीराम एवं सार्दुलराम द्वारा अपने जीवनकाल में उनकी सह खातेदारी की ग्राम अलकदड़ा तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 8 रकबा 43 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि के लिए अन्य सह खातेदारान सुगना एवं सूरज के साथ संयुक्त रूप से अपने हिस्से की भूमि का बेचाननामा करते हुए एक विक्रय विलेख अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 12.09.2011 को निष्पादित करते हुए उप पंजीयक द्वितीय जोधपुर में पंजीबद्ध करवाया था तथा लच्छीराम, सार्दुलराम, श्रीमती सुगना एवं सूरज द्वारा अपीलान्ट से पर्याप्त प्रतिफल लेकर उक्त भूमि का विक्रय कर बेचाननामा निष्पादित किया गया था जिसकी मुझे व मेरे परिवार को जानकारी है चूंकि लच्छीराम का दिनांक 16.10.2016 को स्वर्गवास हो गया था तथा उनके वारिसान् द्वारा शेष बची हुई भूमि का



जिला कलेक्टर (द्वितीय)  
जोधपुर

लच्छीराम के स्थान पर अपना नाम उत्तराधिकार में दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, उत्तराधिकार में नामान्तरकरण लच्छीराम एवं अन्य सहखातेदारान द्वारा बेचान की गयी भूमि रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा को कम करते हुए यानि रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्त के पक्ष में तथा शेष बची हुई भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोजेन्ट्स के पक्ष में दर्ज करना चाहिए था लेकिन राजस्व रेकर्ड में भूलवश या सहवन से सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोजेन्ट्स के नाम दर्ज हो गया था जो कि गलत हुआ है, जिसको सही किया जाना चाहिए जिस पर हम सभी रेस्पोजेन्ट्स सहमत हैं। अपीलान्त द्वारा क्रय की गयी भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्त के पक्ष में किया जाना चाहिए था परन्तु तहसीलदार जोधपुर द्वारा गलती से समस्त भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोजेन्ट्स के दर्ज कर दिया था जिसको सही किया जाना चाहिए। दिनांक 12.09.2011 को जो विक्रय पत्र निष्पादित किया हुआ है वो सही है तथा उस विक्रय पत्र की प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में सद्भाविक तौर पर या गलती वश हुई है परन्तु अब इस भूमि का पुनः अपीलान्त के हिस्से तक की भूमि को अपीलान्त के नाम से दर्ज करने में हमें कोई ऐतराज नहीं है हम सभी रेस्पोजेन्ट्स इससे सहमत हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 16.10.2018 को संशोधित कर स्व.लच्छीराम द्वारा खसरा नम्बर 8 की भूमि अन्य सह खातेदारों के साथ रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2011 द्वारा बेचाननामा अपीलान्त के पक्ष में निष्पादित किया था को अपीलान्त के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करे तथा शेष बची हुई भूमि को लच्छीराम के वारिसान के नाम दर्ज करे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपति नहीं।

रेस्पोजेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्णोई ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 16.10.2018 को संशोधित कर स्व.लच्छीराम द्वारा खसरा नम्बर 8 की भूमि अन्य सह खातेदारों के साथ रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2011 द्वारा बेचाननामा अपीलान्त के पक्ष में निष्पादित किया था को अपीलान्त के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करे तथा शेष बची हुई भूमि को लच्छीराम के वारिसान के नाम दर्ज करे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपति नहीं।



उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन विचारण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि स्व. श्री लच्छीराम पुत्र श्री सिमरथराम, जाति सांसी के सह-खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नं. 8 रकबा 43 बिघा 6 बिस्वा वाके ग्राम अलकदड़ा, तहसील जोधपुर में से 3 बिघा 10 बिस्वा भूमि के लिये अन्य सह-खातेदारान् सादुल राम, श्रीमती सुगना एवं सुरज के साथ संयुक्त रूप से अपने हिस्से की भूमि का बेचान अपीलान्त के पक्ष में कर विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2011 को कार्यालय उप-पंजीयक, द्वितीय, जोधपुर में पंजीबद्ध करवाया था जिसमें स्व. श्री लच्छीराम ने भी अपने हिस्से की भूमि विक्रय करते हुए अपीलांत के पक्ष में पर्याप्त प्रतिफल लेकर अन्य सह-खातेदारों के साथ बेचाननामा निष्पादित किया था। प्रकरण में रेस्पोजेन्ट्स की ओर से अपने जवाब व बहस में स्वीकार किया गया है कि लच्छीराम, सादुलराम, श्रीमती सुगना एवं सुरज द्वारा अपीलान्त से पर्याप्त प्रतिफल लेकर उक्त भूमि का विक्रय कर बेचाननामा निष्पादित किया गया था जिसकी हमें जानकारी है। लच्छीराम का दिनांक 16.10.2016 को स्वर्गवास होने पर उनके वारिसान द्वारा शेष बची हुई भूमि का उनके स्थान पर अपना नाम उत्तराधिकार में दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण में लच्छीराम एवं अन्य सहखातेदारान द्वारा बेचान की गयी भूमि रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा को कम करते हुए यानि रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्त के पक्ष में तथा शेष बची हुई भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोजेन्ट्स के पक्ष में दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन राजस्व रेकर्ड में सहवन से सम्पूर्ण भूमि का

अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर

नामान्तरकरण रेस्पोजेन्टस के नाम गलत दर्ज हो जाने से उसको सही किया जाने हेतु सभी रेस्पोजेन्टस द्वारा अपनी सहमति जवाब में दी गयी है। अपीलान्ट द्वारा क्रय की गयी भूमि का नामान्तरकरण उनके पक्ष में किया जाना चाहिए था परन्तु तहसीलदार जोधपुर द्वारा गलती से समस्त भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोजेन्टस के नाम दर्ज कर दिया गया जिसको सही किया जाना आवश्यक है यानि दिनांक 12.09.2011 को जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया वो सही है तथा अब इस भूमि में से पुनः अपीलान्ट के हिस्से तक की भूमि को अपीलान्ट के नाम से दर्ज करने में रेस्पोजेन्टस द्वारा कोई ऐतराज नहीं होने से इसमें अपनी सहमति देकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 16.10.2018 को संशोधित कर स्व.लच्छीराम द्वारा खसरा नम्बर 8 की भूमि अन्य सह खातेदारों के साथ रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2011 को बेचाननामा अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किया गया को अपीलान्ट के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने तथा शेष बची हुई भूमि को लच्छीराम के वारिसान के नाम दर्ज करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2018 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 138 ग्राम अलकदड़ा को स्व.श्री लच्छीराम के वारिसान रेस्पोजेन्टस के हक हिस्से की भूमि तक निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारों एवं हितबद्ध व्यक्तियों को सुनकर नियमानुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज खसरा संख्या 8 रकबा 43 बीघा 06 बिस्वा भूमि में से स्व. श्री लच्छीराम के हिस्से अनुसार उनके वारिसान के हक हिस्से तक की भूमि में से अपीलान्ट के पक्ष में स्व.श्री लच्छीराम द्वारा किये गये बेचाननामा अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार जोधपुर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)  
अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)  
जोधपुर